न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **गितेश श्री मालवीय,** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 28/2017 (रा.अ.)
पंजीयन दिनांक 01.12.2017
G.C.M.S. NO. :- 2017/00105

मांगीलाल पिता काना जी माली निवासी भूपालसागर, तहसील भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भूपालसागर, तहसील भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार भूपालसागर प्रकरण संख्या 152/2017 निर्णय दिनांक 05.10.2017

उपस्थितिः–1– श्री सत्यनारायण राव, अधिवक्ता अपीलांट
2– श्री भैरूलाल सालवी, राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 03.06.2022

प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को राजस्व ग्राम उसरोल के हाल आराजी नम्बर 1748 रकबा 0.15 है. भूमि पर सम्वत् 2074 से नाजायज कब्जा मानते हुए राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर दिनांक 05.10.2017 को अपीलांट के विरूद्ध बेदखली एवं पेनल्टी लगान 1/– रूपये का 50 गुणा शास्ति आरोपित कर बेदखली के आदेश पारित किये जो अपने आप में अवैधानिक होकर निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित पत्रावली तलब की गई। तहसीलदार, भूपालसागर से पत्रावली प्राप्त होने एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित होने पर बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता का मुख्य कथन यह रहा कि तहसील भूपालसागर के राजस्व ग्राम उसरोल के पटवार हल्का की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम उसरोल की बिलानाम आराजी संख्या 1748 रकबा 0.15 हैक्टेयर भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण एवं नाजायज कब्जा मानते हुए, अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्ध बेदखली एवं लगान का 50 गुणा जुर्माने का आदेश पारित कर दिया जो विधि-विपरीत होकर मनमाफिक आदेश होने से निरस्त योग्य है। हाल आराजी नम्बर 1748 रकबा 0.15 है. जो कि साबिक आराजी नम्बर 954 मीन रकबा 6.18 बीघा से बने है जिस पर अपीलांट के पिता स्व. काना पिता उदा माली के जीवनकाल से ही सन् 1970 से लगातार कब्जा चला आ रहा है जिनकी मृत्यु के बाद अपीलांट का निरन्तर कब्जा जारी है तथा सन् 1970 से ही अपीलांट राजकोष में पेनाल्टियां जमा कराता आया है अपीलांट सद्भावी काश्तकार होकर भूमिहीन की श्रेणी में आता है जिससे उक्त तथ्यों एवं दस्तावेजों से अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय को अवगत करा उक्त आराजी अपने नाम नियमन/आवंटन करने हेतु मय आवेदन निवेदन किया लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों को नजरअंदाज कर न्याय-नियमों के विपरीत तथ्यों से परे उक्त आदेश पारित कर दिया जो निरस्त योग्य है। उक्त आदेश की जानकारी अपीलांट को दिनांक 25.10.2017 को हुई। दिनांक 05.10.2017 का निर्णय होने से दिनांक 05.11.2017 को वार रविवार होने से अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत नहीं हो सकी एक दिवस से देरी से प्रस्तुत है यदि निर्णय प्राप्ति दिनांक से अवधि मानी जावे तो अपील अन्दर म्याद पेश है फिर भी एक दिवस के विलम्ब हेतु दफा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र संलग्न है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 05.10.2017 निरस्त फरमाया जावे एवं अपीलांट का सन् 1970 से पुराना कब्जा होने से उक्त आराजी को अपीलांट के नाम नियमन/आवंटन किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

राजकीय अभिभाषक का मुख्य कथन यह रहा कि प्रश्नगत भूमि राजकीय बिलानाम भूमि है जिस पर अपीलार्थी द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर कब्जा

कर रखा है जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत भूमि से बेदखली एवं शास्ति आरोपित करने का पारित आदेश विधि सम्मत् है।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। सर्वप्रथम हम धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ-पत्र के मद्देनजर विलम्ब के संबंध में नरमी का रूख अपनाते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जाना न्यायोचित समझते हैं। तद्नुसार धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद मानी जाती है।

अपीलांट ने प्रस्तुत अपील में ग्राम उसरोल की प्रश्नगत आराजी नम्बर 1748 रकबा 0.15 हैक्टेयर पर उसके पिता स्व. काना पिता उदा माली के जीवनकाल के समय से कब्जा-काश्त होने का कथन किया है लिहाजा इस आराजी पर अपीलांट के अतिक्रमण के तथ्य को पृथक् से साबित करने की आवश्यकता नहीं है। राजस्व ग्राम उसरोल की विवादित आराजीयात आराजी नम्बर 1748 रकबा 0.15 हैक्टेयर बिलानाम भूमि है जिस पर अपीलांट ने नाजायाज कब्जा कर रखा है। यहां हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि भूमिधारी तहसीलदार को ऐसे नाजायज कब्जों को हटाने का अधिकार राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत प्रदत्त किया गया है जिससे भूमिधारी तहसीलदार, भूपालसागर द्वारा की गई कार्यवाही पूर्ण रूप से विधि- सम्मत् होकर नियमों के परिप्रेक्ष्य में की गई है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर पटवारी हल्का उसरोल की रिपोर्ट अनुसार अपीलांट का ग्राम उसरोल की आराजी नम्बर 1748 रकबा 0.15 है. किस्म बिलानाम भूमि पर अतिक्रमण सिद्ध है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बेदखल करने, जुर्माना लगान का 50 गुणा से 50/-रूपये शास्ति आरोपित करने का पारित आदेश विधि सम्मत् होकर इसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। निष्कर्षतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.10.2017 यथावत रखा जाता है।

''निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।''

(गितेश श्री मालवीय)